



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स (इ०), प्रथम तल, नियर आई०एस०बी०टी०, माजरा, देहरादून  
फोन-0135-2641119 फ़ैक्स-2641314 Website : [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) E-mail- [uttaranchalerc@rediffmail.com](mailto:uttaranchalerc@rediffmail.com)

## जन सूचना

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2012 के प्रारूप विनियम पर सुझाव आमंत्रण हेतु जन सूचना

आयोग द्वारा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सपटित धारा 43 एवं 57 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2012 का प्रारूप विनियम बनाये गये है। उक्त प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) पर अपलोड किये गये है।

अधिनियम की धारा 181 की सह-धारा (3) के अन्तर्गत प्रारूप विनियम पर सभी स्टैकहोल्डर अपने सुझाव/आपत्तियां दिनांक 24.09.2012 तक अधोहस्ताक्षरी को पत्र अथवा ई-मेल के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते है।

वि०सं०: 15/12-13

सचिव